<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 156/2018 **दायर दिनांकः 20/08/2018**

उनवान

1. बालमुकुन्द आयु 28 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी कराड़िया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>
<u>एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कराड़िया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 72 का ख0नं0 10/260 की 0.89 है0 भूमि वादी के खाते दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार खाता संख्या 74 का ख0नं0 146 का रकबा 1.09 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 का 1/2 दर्ज खाता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 74 व 72 सम्वत् 2070 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरण दर्ज हुआ। उसमें सहवन से वादी का नाम बालमुकुन्द की जगह मुकुटबिहारी दर्ज हो गया है। क्योंकि वादी को गांव में मुकुटबिहारी नाम से भी जानते है। इस प्रकार वादी के दो नाम बालमुकुन्द व मुकुटबिहारी है। वादी के समस्त प्रकार के दस्तावेजात बालमुकुन्द के नाम से ही है। इसलिये वादी खाते में भी मुकुटबिहारी के बजाय बालमुकुन्द पुत्र छीतरलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। राज्य सरकार से कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत वादी अपने हिस्से की आराजी पर बैंक से ऋण लेने गया तो खाते में वादी का नाम मुकुटबिहारी दर्ज होने से एवं अन्य दस्तावेजात में नाम बालमुकुन्द होने से वादी को अपनी आराजी पर कृषि ऋण नही मिला। बत वादी को खाते मे नाम बालमुकुन्द की जगह मुकुटबिहारी होने की जानकारी मिली। इस कारण वादी द्वारा उक्त नाम को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वादी दिनांक 25.07.2016 को अपना नाम खाते मे दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

करवाने हेतु अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र आदि लेकर प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी ने खाते मे नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। वादी का नाम खाते में मुकुटबिहारी गलत रूप से दर्ज होने से एवं अन्य दस्तावेजात में नाम बालमुकुन्द होने से वादी को अपनी आराजी में प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। बिना सहायता न्यायालय खाते में वादी का नाम मुकुटबिहारी के स्थान पर बालमुकुन्द दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। यदि वादी का नाम खाते में दुरूस्त नही किया गया तो वादी को अपनी आराजी पर प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में खाते मे अपना नाम मुकुटबिहारी पुत्र छीतरलाल के स्थान पर बालमुकुन्द पुत्र छीतरलाल घोषित होकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार व अंतिम बार के.सी.सी. ऋण लेने हेतु जमीन की नकले निकलवाने पर नाम गलत दर्ज होने की जानकारी मिलने पर प्रतिवादी के पास दिनांक 25.07.2016 को नाम दुरूस्त करवाने हेतु जाने पर व प्रतिवादी द्वारा मना करने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। भूमि ग्राम व माल कराड़िया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि निम्न आशय डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें किः—

(अ) प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम मुकुटबिहारी पुत्र छीतरलाल के स्थान पर बालमुकुन्द पुत्र छीतरलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन करवा दें।

(ब) वादी का नाम मुकुटबिहारी पुत्र छीतरलाल के स्थान पर बालमुकुन्द घोषित किया जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा रिकार्ड प्रदर्शित किया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में सहखातेदार बालमुकन्द की जगह मुकटबिहारी दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर बालमुकन्द पुत्र छीतरलाल दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम कड़ाडिया गुलजी की खाता संख्या 72 किता 1 रकबा 0.89 है0 में वादी का नाम मुकुटबिहारी दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 74 किता 1 रकबा 1.09 है0 में वादी का नाम मुकुटबिहारी दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत रीछन्दा का प्रमाण पत्र दिनांक 13.08.2018 के अनुसार बालमुकुन्द उर्फ मुकुटबिहारी पुत्र छीतरलाल एक ही व्यक्ति है, तथा भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, अंक तालिका 2005–2006, में वादी का नाम बालमुकन्द पुत्र छीतरलाल दर्ज है। इस बाबत् प्रार्थी द्वारा 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

अतः साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::कियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कड़ाडिया गुलजी की खाता संख्या 72 किता 1 रकबा 0.89 है0 व खाता संख्या 74 किता 1 रकबा 1.09 है0 में वादी का नाम मुकुटबिहारी दर्ज है। उक्त शामलाती खातों में मुकुटबिहारी के स्थान पर सही नाम बालमुकुन्द पुत्र छीतरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 156/2018

उनवान

1. बालमुकुन्द आयु 28 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी कराड़िया गुलजी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कड़ाडिया गुलजी की खाता संख्या 72 किता 1 रकबा 0.89 है0 व खाता संख्या 74 किता 1 रकबा 1.09 है0 में वादी का नाम मुकुटबिहारी दर्ज है। उक्त शामलाती खातों में मुकुटबिहारी के स्थान पर सही नाम बालमुकुन्द पुत्र छीतरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/01/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प वकालत नाम	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	स्टाम्प वजह सबूत	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	महन्ताना वकील	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)